

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 19, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. 23743-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, २०१४ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) (जो इसमें धारा २ का संशोधन. इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द “बीस से अधिक” के स्थान पर, शब्द “पचास से अधिक” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) इस अधिनियम में की कोई भी बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन “सूक्ष्म उद्योग” के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी:

परन्तु राज्य सरकार, किसी सूक्ष्म उद्योग सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्णरूप से वापस ले सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

धारा ८ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु जहां सरकार ने मानक स्थायी आदेशों में कोई संशोधन किया है, वहां उसे किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम को लागू स्थायी आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्यकरूप से सम्मिलित कर लिया गया समझा जाएगा.”

धारा १७-ख का अंतस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपराधों का प्रशमन

“१७-ख. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो) कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् प्रशमन शुल्क के रूप में उतनी धनराशि, जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात् प्रशमन करा सकेगा; जब कि अपराध का प्रशमन—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, किया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.”

निरसन
व्यावृत्ति.

तथा

५. (१) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में यह उपबंध है कि अधिनियम उन समस्त उपक्रमों पर लागू होगा जहां पिछले बारह मास के दौरान किसी दिन भी बीस कर्मकारों से अधिक कर्मकार कार्य कर रहे हैं. चूंकि, छोटी इकाईयां अधिनियम के अधीन उपबंधित की गई औपचारिकताएं सुनिश्चित करने में कठिनाइयां महसूस करती हैं, यह देखा गया है कि ऐसी इकाईयां या तो उपबंधों का अनुपालन ही नहीं करती हैं या तो अधिनियम के लागू होने से बचने के लिए अभिलेख पर नियोजित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या बीस से कम पर निर्बंधित कर देती हैं.

२. नियोजन के और अधिक नियमित प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और छोटी इकाईयों के नियोजकों को

सुविधा देने की दृष्टि से ऊपर बीस कर्मकारों की सीमा को अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) का संशोधन करते हुए पचास कर्मकार किया जाना प्रस्तावित है और उसी प्रकार उपरोक्त कारणों से सूक्ष्म उद्योग को भी इस अधिनियम के उपबंधों से छूट दी जाना प्रस्तावित किया गया है। कर्मकारों के हित में राज्य सरकार ऐसी छूट की वापसी के उपबंध भी किए गए हैं।

३. यह भी अनुभव किया गया है कि राज्य सरकार जब भी मानक स्थाई आदेशों में कोई उपांतरण करती है, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि नियोजक कर्मकार से आपसी करार या समझौते या प्रमाणित अस्थाई आदेश की आड़ लेकर उसे नहीं अपनाते। अतएव, धारा ८ की उपधारा (३) में नया परन्तुक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है कि सरकार द्वारा मानक स्थाई आदेश में किए गए संशोधन किसी पंचाट, करार समझौते या प्रमाणित स्थाई आदेश में सम्यक रूप से समाहित कर लिए गए समझे जाएंगे।

४. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के प्रशमन के उपबंध भी उपबंधों के भंग का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रशमन के संबंध में ऐसे किसी उपबंध के न होने के कारण, विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन प्रकरणों के कई मामले लंबित हैं जिससे सरकारी तंत्र और साथ ही कर्मकारों का बहुमूल्य समय इसमें लग जाता है। अतएव, कर्मकारों उपबंधों के भंग के अपराधों के मामलों में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशमन किए जाने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम में नई धारा १७-ख अंतःस्थापित की जाना प्रस्तावित है।

५. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, इस प्रयोजन के लिये मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) प्रख्यापित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ५ दिसम्बर, २०१४

अंतर सिंह आर्य
भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ के अन्तर्गत कर्मकारों द्वारा उपबंधों के भंग अपराधों के मामले में अधिकारियों द्वारा प्रशमन किये जाने हेतु राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१. छोटी इकाईयों को अधिनियम के लागू होने से बचने के लिये, मानक स्थाई आदेशों में कोई उपांतरण होने पर प्रमाणित स्थाई आदेश में सम्यक रूप समाहित करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के प्रशमन एवं त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिये यह अध्यादेश लाया गया था।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।